संचालनालय, महिला एवं बाल विकास

विजयाराजे वात्सल्य भवन, प्लाट नं.28 ए अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश

दूरभाष– 0755–2550928, 2550910 फैक्स–0755–2550912

ई–मेल commicds@mp.gov.in website: mpwcdmis.gov.in

क्रमांक/मबावि/LBY/209 भोपाल दिनांक 05/04/2023

प्रति,

कलेक्टर,
जिला समस्त
मध्यप्रदेश

विषय - मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 अंतर्गत आवेदन की प्रविष्टि न किये जाने की दिनांकों का निर्धारण।
संदर्भ - इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/मबावि/ LBY /207 भोपाल दिनांक 04-04-2023

संदर्भित पत्र द्वारा निर्धारित दिनांकों पर आवेदन की प्रविष्टि न करने सम्बंधित निर्देश जारी किये गये थे। उक्त संदर्भित पत्र निरस्त करते हुये निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है -

1- शासकीय अवकाश एवं पोर्टल संधारण को दृष्टिगत रखते हुये निम्नलिखित दिनांक को पोर्टल पूर्णत: बंद रहेगा। जिलों के द्वारा यदि निम्नलिखित दिनांक को कैम्प रखे गये हैं तो उन्हें सुविधानुसार अवकाश के पहले अथवा बाद में स्थानांतरित कर दें, साथ ही इसकी सूचना सम्बंधित ग्राम/वार्ड में अवश्य करें।

क्र.	दिनांक	अवकाश का विवरण
1.	09.04.2023	रविवार अवकाश
2.	14.04.2023	डॉ अम्बेडकर जयंती एवं वैशाखी
3.	16.04.2023	रविवार अवकाश
4.	22.04.2023	अक्षय तृतीया/ परशुराम जयंती/ ईद-उल-फितर
5.	23.04.2023	रविवार अवकाश
6.	30.04.2023	रविवार अवकाश

2- प्रदेश के ऐसे कई जिले हैं जहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तथा ऐसे शेडो ऐरिया से हितग्राहियों को आवेदन किये जाने हेतु नजदीकी इंटरनेट कनेक्टिविटी वाली जगह पर ले जाना आवश्यक होता है अत: शेडो ऐरिया में हितग्राहियों को कनेक्टिविटी क्षेत्र में लाकर आवेदन की प्रविष्टि हेतु **माह अप्रैल के प्रत्येक शनिवार को प्रात: 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक पोर्टल चालू रहेगा।**

यह सुनिश्चित किया जाये कि जिन क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी है उन क्षेत्रों के हितग्राहियों की आवेदनों की प्रविष्टि शनिवार को न की जाये ताकि शेडो ऐरिया के हितग्राहियों के आवेदनों की सुगमता से ऑनलाइन प्रविष्टि की जा सके।

कृपया इस सम्बंध में समुचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(डॉ. राम राव भोंसले)
आयुक्त 5/4/23
महिला एवं बाल विकास
मध्यप्रदेश

पृ0क्र0/मबावि/2023/210 भोपाल दिनांक 05/ 04 /2023

प्रतिलिपि :-

1. संभागीय आयुक्त, संभाग समस्त, मध्यप्रदेश।
2. आयुक्त, नगरीय प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश।
3. प्रबंध संचालक, एमपीएसइडीसी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. संचालक, पंचायत राज, मध्यप्रदेश।
5. आयुक्त, नगर निगम, नगरीय प्रशासन विभाग, समस्त मध्यप्रदेश।
6. संयुक्त संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग, संभाग समस्त।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, समस्त मध्यप्रदेश।
8. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला समस्त।
9. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद/ नगर पालिका, समस्त मध्यप्रदेश।
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, समस्त जनपद, मध्यप्रदेश
    की ओर सूचनार्थ/ आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आयुक्त
महिला एवं बाल विकास
मध्यप्रदेश
5/4/23